प्रथम लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. 121/2014 रेवा

निर्णय दिनांक :- 02.07.2015

अनवान

1. श्री धूनसिंह पिता श्री नेत सिंह जाति रावत निवासी भागादों की गुआर तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील भीम
2. श्री राम सिंह पिता श्री नेत सिंह जाति रावत निवासी भागादों की गुआर तहसील भीम
3. श्री नारायण सिंह पिता श्री मोटसिंह जाति रावत निवासी भागादों की गुआर तहसील भीम
4. श्रीमति धीसी बेवा श्री बालू सिंह जाति रावत निवासी भागादों की गुआर तहसील भीम
5. श्रीमति पूनी देवी पुत्री श्री बालू सिंह जाति रावत निवासी भागादों की गुआर तहसील भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आरटीए

ग्राम भीम पटवार हल्का भीम मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि आराजी नं. 8921 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै. मु. मगरी, आराजी न. 8922 रकबा 6 बिस्वा किस्म गै. मु. मगरी तथा आराजी न 8924 रकबा 2 बिस्वा किस्म आबादी स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण स. 2 लगायत 5 का पीढीयों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौजा मण्डला चकला भीम तहसील भीम की पुरानी जमाबन्दी जिला मेवाड मेरवाडा सन 1350 फसली जो कि वर्तमान में मौजा भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द में स्थित है उपरोक्त जमाबन्दी के खेवट संख्या 1507 की सिलसिला नम्बर खाता खतौनी के साबिक न. 5506 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि खेवट मे शामलात देह दर्ज थी जो भाई बटवारे में श्री नेता वल्द श्री कूम्पा के हिस्से में आई थी जिस पर पीढीयों से श्री नेता वल्द कूम्पा के पूर्वजो का व इनकी मृत्यु के बाद श्री नेता वल्द कूम्पा का कब्जा काश्त था तथा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से भी काफी पहले से श्री नेता वल्द कूपा के वारिसान का कब्जा काश्त था इस कारण धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे।उक्त वादग्रस्त आराजियात पर पहले वादी तथा प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 के पुर्वज तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी तथा प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 शान्तिपूर्वक काबिज थे। इसी कारण सेटलमेंट के समय भी वादी तथा प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 के पूर्वज श्री नेता वल्द कूपा का कब्जा काश्त होने की वजह से खसरा मिलान फार्म के कलम संख्या 24 में वर्तमान कृषक के रूप में नेता वल्द कूंपा का नाम दर्ज किया गया था। इस प्रकार पर वादी तथा प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 के पूर्वज वादग्रस्त आराजियात पर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के समय काबिज काश्त होने के कारण धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे। साबिक आराजी न. के हाल जो आराजी नम्बर बने उसका विवरण निम्न है :

सबिक नं.	रकबा	हाल खसरा नं.	रकबा
5506	1 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वासी	8921	5 बिस्वा
		8922	6 बिस्वा

वादपत्र में वर्णित साबिक आराजी के पुरे रकबे पर उपरोक्त विवरण के अनुसार वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त वादग्रस्त हाल आराजी नं. 8921 रकबा 5 बिस्वा व आराजी नं. 8922 रकबा 6 बिस्वा भूमि वादी के खेत के पास स्थित है उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 8925,8926 के पास में स्थित है आराजी नं. 8924 में वादी के मकान बने है जिसम वादी पीढीयों से रहता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि के चारों ओर वादी की भूमि स्थित है जो वादीगण के खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य के खेत है। उपरोक्त आराजी पर एकमात्र कब्जा वादी का चला आ रहा है तथा अभी भी वादी की फसल पडी है। प्रतिवादी सं. 1 वादी को बेदखल करने को आमादा है तथा धमकियां दे रहे है कि वे उन्हे बेदखल कर के रहेंगे इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम** मे पेश हुआ। वादी का वादपत्र इस प्रकार खारीज किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजियात सवंत 2067–70 तक राजस्व रिकार्ड मे बिलानाम गैर काबिल काश्त होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम हो। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

सहायक कलेक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी भीम
उपखण्ड
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner